रजिस्ट्री सं. डी. एल. 33004/99

REGD No. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 24, 2000/अग्रहायण 3, 1922
No. 759] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 24, 2000/AGRAHAYANA 3, 1922

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 नवम्बर, 2000

का.आ. 1046(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (ii), उपधारा (1) और धारा 6 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) संशोधन नियम, 2000 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में,-

(i) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्

"(ग)" प्राधिकारी से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत प्रवृत्त विधियों के अनुसार, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी या अधिकारी सम्मिलित हैं और इसके अन्तर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ध्वनि के संबंध में परिवेशी वायु क्वालिटी मानकों के अनुरक्षण के लिए अभिहित जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस आयुक्त या ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी हैं जो पुलिस उप अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ;

(ii) खण्ड (घ) और खण्ड (ङ) को क्रमशः खण्ड (छ) और खण्ड (ज) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

" (छ) "व्यक्ति" के अन्तर्गत कोई कम्पनी या व्यष्टियों का कोई संगम या निकाय सम्मिलित है चाहे वह निगमित हो या नहीं" ;

(iii) खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

" (घ) "न्यायालय" से ऐसा सरकारी निकाय अभिप्रेत है जो एक या अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना है और वे विवादों के न्याय निर्णयन और न्याय करने के लिए बैठते हैं तथा इसके अन्तर्गत ऐसा कोई न्यायालय भी है जो न्यायाधीश, न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेट द्वारा पीठासीन है और सिविल कार्यवाही तथा आपराधिक मामले के अधिकरण के रूप में कार्य कर रहे हैं;"

(ङ.) " शैक्षणिक संस्था" से कोई स्कूल, पोलिटेक्निक, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, वृत्तिक अकादमी, प्रशिक्षण संस्थान या अन्य शैक्षणिक स्थापन, जो आवश्यक रूप से चार्टर्ड संस्था नहीं है, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत न केवल भवन सम्मिलित हैं बल्कि इसमें ऐसे सभी स्थल भी हैं जो शैक्षणिक अनुदेश की पूर्ण व्याप्ति को प्राप्त करने के लिए हैं जो मानसिक, नैतिक और भौतिक विकास के लिए आवश्यक हैं।

(च) " अस्पताल" से ऐसी कोई संस्था अभिप्रेत है जो बीमार, घायल, शिथिलांग या वयोवृद्ध व्यक्तियों को भर्ती करने और उनकी देख-रेख करने के लिए है और इसके अन्तर्गत सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, परिचर्या गृह तथा क्लिनिक सम्मिलित हैं ;

3. उक्त नियमों के नियम 3 के उपनियम (2) में, " प्रवर्गीकृत कर सकेगी " शब्दों के स्थान पर प्रवर्गीकृत करेगी " शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त नियम की अनुसूची में, टिप्पण 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

" 3. शान्त परिक्षेत्र वह क्षेत्र है जो अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, धार्मिक स्थानों या ऐसे अन्य क्षेत्र जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है, के आस-पास कम से कम 100 मीटर में समाविष्ट है।"

[फा. सं. क्यू-14012/1/96-सी.पी.ए.]

के. राय पाल, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम सं. का.आ. 123(अ), दिनांक 14 फरवरी, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd November, 2000

S.O. 1046(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (2) of section 3, sub-section (1) and clause (b) of sub-section (2) of section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following rules to amend the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000

1.(1) These rules may be called the Noise Pollution (Regulation and Control) (Amendment) Rules, 2000.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2,—

(i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-

'(c) "authority" means and includes any authority or officer authorized by the Central Government, or as the case may be, the State Government in accordance with the laws in force and includes a District Magistrate, Police Commissioner, or any other officer not below the rank of the Deputy Superintendent of Police designated for the maintenance of the ambient air quality standards in respect of noise under any law for the time being in force;' ;

(ii) clauses (d) and (e) shall be re-numbered as clauses (g) and (h) respectively, and for clause (g) as so re-numbered, the following clause shall be substituted, namely:-

'(g) "person" shall include any company or association or body of individuals, whether incorporated or not;' ;

(iii) after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:-

'(d) "court" means a governmental body consisting of one or more judges who sit to adjudicate disputes and administer justice and includes any court of law presided over by a judge, judges or a magistrate and acting as a tribunal in civil, taxation and criminal cases;

(e) "educational institution" means a school, seminary, college, university, professional academies, training institutes or other educational establishment, not necessarily a chartered institution and includes not only buildings, but also all grounds necessary for the accomplishment of the full scope of educational instruction, including those things essential to mental, moral and physical development;

(f) "hospital" means an institution for the reception and care of sick, wounded, infirm or aged persons, and includes government or private hospitals, nursing homes and clinics; '.

3. In sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, for the words "may categorize", the words "shall categorize" shall be substituted.

4. In the Schedule to the said rules, for Note: 3 and the entries relating thereto, the following Note and entries shall be substituted, namely:-

"3. Silence zone is an area comprising not less than 100 metres around hospitals, educational institutions, courts, religious places or any other area which is declared as such by the competent authority.".

[F. No. Q-14012/1/96-CPA]

K ROY PAUL, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 123(E), dated the 14th February, 2000.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.